

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1636 / 2010 / अजमेर
2. अपील संख्या 2040 / 2011 / अजमेर
3. अपील संख्या 516 / 2012 / अजमेर
4. अपील संख्या 611 / 2013 / अजमेर
5. अपील संख्या 612 / 2013 / अजमेर

मैसर्स इरकॉन इन्टरनेशनल लि०,
बालुपुरा रोड, आदर्श नगर, अजमेर।

.....अपीलार्थी।

बनाम्
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अजमेर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

**श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य**

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक।
श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक

....व्यवहारी की ओर से

.....राजस्व की ओर से
निर्णय दिनांक : 10.01.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अजमेर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित आदेशों के तहत निम्न तालिकानुसार कायम की मांग राशियों को यथावत रखा गया।
2. चूंकि समस्त प्रकरणों के तथ्य समान हैं, अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही हैं।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी ने रोड वर्क के तहत विभाग से प्राप्त मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र 2/6 दिनांक 02.11.2006 के समर्थन में समस्त प्राप्तियों पर 1.5 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क चुकाया है, जिसे सशक्त अधिकारी ने इस कार्य श्रेणी को मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र के तहत रेल्वे ट्रेक परिवर्तन कार्य को रोड वर्क न मानकर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क कायम कर तालिकानुसार शेष मुक्ति शुल्क आरोपित किया। उक्त मुक्ति शुल्क देरी से जमा कराने के कारण धारा 58 के तहत 30 माह देरी के लिये 12 प्रतिशत की दर से ब्याज आरोपित किया गया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनको अस्वीकार करते हुए सृजित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी ने यथावत रखा, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

कर बोर्ड की अ.सं.	अ.अधि. की अपील सं. एवं दिनांक	कर निर्धा. वर्ष	क.नि.अ. का आ दि.	अति. कर	ब्याज	शास्ति
1636 / 10	108 / 09-10-20.4.10	06-07	18.3.09	36,87,111	11,06,353	-
2040 / 11	130 / 10-11-22.611	07-08	22.3.10	56,33,126	16,89,938	2000
516 / 12	03 / 11-12-22.11.11	08-09	11.2.11	22,63,394	6,45,067	2000
611 / 13	13 / 12-13-21.1.13	09-10	27.1.12	26,57,664	7,44,146	-
612 / 13	45 / 12-13-21.1.13	2 / 06	6.2.09			

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलार्थी 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त मुक्ति शुल्क, कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत छूट का हकदार है। सशक्त अधिकारी ने रेल्वे ट्रेक परिवर्तन कार्य को रोड़ वर्क न मानकर तकनीकी रूप से गलत मानकर अतिरिक्त मुक्ति शुल्क लगाया, जो विधि विरुद्ध है। अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय मै0 हिमालियन कॉ-ओपरेटिव मिल्क प्रोडैक्ट यूनियन टैक्स रिपोर्ट (2001)123 एसटीसी, बिरला जूट एण्ड इण्ड. लि. (2002)119 एसटीसी 14 एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड का निर्णय 33 टैक्स वर्ल्ड पेज 33, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय (2012) 06 RGSTR-D- 312 (SC) Civil Appeal No. 4409/2010 Commissioner of Central Excise, Belapur, Mumbai Vs RDC Concrete (India) p.Ltd. Date 09.08.2011, The Supreme Court Civil Appeal No. 2692/2011 ACTO Vs M/s Makkad Plastic Agencies Date 29.3.2011 Tax Up Date Vol. 29 Part 7 Page 253, [2007] 10 VST 751 (SC) Deva Metal Powders Pvt. Ltd. Vs Commissioner, Trade Tax, U.P. Date 4.12.2007, Tax Up date Vol. 39 Part 2 Page 51 High Court Jodhpur ACTO Ward II, Chittorgarh Vs M/s Sanwariya Oil Mills Date 24.4.2014, [2012] 48 VST 123 (Raj) Rajasthan High Court Commercial Taxes Officer, Circle B, Bhilwara Vs Amit Conductors Date 11.10.2011, Tax up Date Vol. 22 Part 4 Page 109 High Court Jodhpur S.B. Civil Writ Petition No. 3850/2008 Uma Polymers Ltd. Vs State of Rajasthan Date 23.09.2008, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 2090, 2092 से 2097/2012/जालौर सीटीओ बनाम मैसर्स 1. बालाजी फिलिंग स्टेशन, डूंगरी 2. मैसर्स शंकर ऑटोमोबाइल्स, रानीवाडा 3. मैसर्स रामदेव मोटर्स, करड़ा निर्णय दिनांक 11.04.2014 आदि उद्धरण प्रस्तुत किये। आगे तर्क किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित मांग नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, क्योंकि प्रकरणों में अपीलार्थी को नियमानुसार सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है।

रेल्वे ट्रेक का गेज परिवर्तन का कार्य भी रोड़ की श्रेणी में ही आता है। विधिक शब्दकोष अनुसार रेल रोड़ वह रोड़ है जिस पर लोहे की पटरियां बिछाई जाती है :-

"Railroad. A railroad has been defined as a road specially laid out and graded, having parallel rails of iron or steel for the wheels of carriages or cars, drawn by steam or other motive power, to run upon.

The legal signification of the term **"railroad"** is not only a road or way on which iron rails are laid, but a road or way on which iron rails are laid, but a road as incident to the possession or ownership of which important franchises and right affecting the public are attached.

The word "railroad" may sometimes mean the track or ground upon which the rails constituting the track are laid, or it may mean the right of way, including the track and the land on either side of the track, according to the contest in which the word is used.

The term "railroad" includes all the side track and turnouts necessary for the transaction of the company's business.

An authority to construct a railroad is sufficient authority to also construct a telegraph line to be used in connection with the railroad.

A road laid with rails on which wheels of the wagons containing goods or passengers are made to run by locomotives or any other engine.

RAILROAD - RAILWAY - "Railroad" and "railway" are used interchangeably. They are as nearly exact synonyms as any two words in the English language. In common speech the word "railroad" is the more frequent designation.

The words "railroad" and "railway" are synonymous and under all ordinary circumstances they are to be treated as without difference in meaning.

Strictly speaking a "railroad" should be confined to the highway on which the railway is laid, and the word "railway" to the rails of the road."

सशक्त अधिकारी ने रोड़ वर्क का सीमित अर्थ लगाकर रेल रोड़ को शामिल नहीं किया है, जो विधिक भूल है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार रोड़ वर्क से संबंधित ठेके पर 1.5 प्रतिशत की दर से ही कर मुक्ति शुल्क देय है, जो अपीलार्थी द्वारा चुकाया गया है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-IA के स्पष्टीकरण अनुसार भी रोड़ के तहत रेल्वे सिस्टम भी शुमार किया गया है। इसलिये रेल रोड़ पर भी कर मुक्ति शुल्क 1.5 प्रतिशत है। अतः विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अवगत करवाया गया है कि उनको जारी ई.सी. सम्बन्धित ठेके की राशियों पर 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क देय है। इस प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा ठेका कार्य पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क देय आरोपित किया जाना अविधिक है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स-2005-80 दिनांक 11.08.2016 के बिन्दु संख्या 8 का सुसंगत विवरण निम्नानुसार है :-

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee% of the total value of the contract
1.	2.	3.
1.	Works contracts where the cost of material dose not exceeds five percent of the total contract amount.	0.25%
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams canals, sewerage system.	1.50%
3.	Works contracts relating to installation of plants and machinery including pspo. Water treatment plant. Laying of pipe line with material	2.25%
4.	Any other kind of works contract not covered by [item Nos. 1, 2 and 3]	3.00%

This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. April 1, 2006.

व्यवहारी को प्राप्त कार्यादेश के अनुसार व्यवसाई को जो ठेका कार्य आवंटित हुआ है, उसका विवरण निम्नानुसार है :-


"Permanent may work including supply of Ballast P.way material (except Rails & PSC Sleepers) and connected electrical works in the entire section from Rewari to Ajmer (294-56 Kms) in connection with the work of gauge conversion of meter gauge line to Broad Gauge Line of Rewari Ringus-Phulera-Ajmer section on North Western Railway."


उक्त ठेका कार्य रेल्वे का गेज परिवर्तन, माल सप्लाई, बिजली का कार्य आदि से सम्बन्धित है। व्यवसाई द्वारा इस कार्य के सन्दर्भ में पूर्व में तथ्य प्रस्तुत किये गये जिसमें ROAD Work से सम्बन्धित कार्य बताया गया। चूंकि यह एक तकनीकी कार्य है, जो गेज परिवर्तन, माल सप्लाई एवं बिजली के कार्य से सम्बन्धित है न कि रोड वर्क। यह कार्य मुक्ति शुल्क निर्धारण हेतु जारी अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dated 11.8.06 के आइटम संख्या 4 के तहत पाया जाता है। सशक्त अधिकारी ने उक्त ठेका कार्य को मध्यनजर रखते हुए मुक्ति शुल्क दर 3 प्रतिशत निर्धारित की है।

व्यवहारी द्वारा किये जा रहे ठेके कार्य का अध्ययन किये जाने पर पाया कि उनको प्राप्त कार्यादेश संबंधित अधिसूचना में दर्शाये गये विभिन्न कार्यों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी में ना होकर चौथी श्रेणी अर्थात "अन्य कार्य" के तहत निर्धारित है। सशक्त अधिकारी ने भी व्यवहारी को प्राप्त कार्यादेशों को उक्त अधिसूचना में दर्शाये गये विभिन्न कार्यों के तहत चौथी श्रेणी के तहत निर्धारित करते हुए ठेके से संबंधित राशियों पर देय मुक्ति शुल्क 3 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किया है। सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक भूल अथवा त्रुटि प्रतीत नहीं होने से उनके आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलें उपरोक्त विवेचन एवं निर्देशों के अनुसार अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष